



न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर, दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
संदर्भित वाद संख्या- 400 / 2013-14

नाम- यदुनन्दन मंडल बनाम किशोरी मुखिया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित								
14-9-13	<p>श्री यदुनन्दन मंडल पिता- हजारी मंडल ग्राम अठहर पो- थाना- बहेरी अंचल- जिला- दरभंगा के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से श्री किशोरी मुखिया पिता- सोने लाल मुखिया ग्राम- परमानन्दपुर अठहर पो- थाना- बहेरी अंचल जिला- दरभंगा के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत वाद-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें विवाद के अन्तर्गत निम्न ब्योरे की भूमि है:-</p> <table border="1" data-bbox="293 1176 1209 1332"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>परमानन्दपुर अठहर</td> <td>3282 नया 226 पु०</td> <td>376 नया</td> <td>9 ई०</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों तथा विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् वाद-पत्र को प्रतिग्रहित किया जाता है। पक्षकार को सुचना निर्गत करें, कि वे निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना उचित पक्ष प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक 28/09/13 को रखें। लेखापित एव शुद्धित</p> <p> 14/09/13 भू० सु० उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p> <p> 14/09/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	परमानन्दपुर अठहर	3282 नया 226 पु०	376 नया	9 ई०	<p>24/10/13 15-11-13. 30/11/13 17-12-13 11-1-14. आदेश</p>
मौजा	खाता	खेसरा	रकवा							
परमानन्दपुर अठहर	3282 नया 226 पु०	376 नया	9 ई०							

28/9/13- उग्रपक्ष अनु० ।
अधोहस्ताक्षरी अन्य कार्य में व्यस्त ।
पूना: दिनांक - 24.10.13 को रखें ।

श. प्र. 34/11/13

24.10.13- उग्रपक्ष- अनु० ।
अधोहस्ताक्षरी अन्य कार्य में व्यस्त है ।
पूना: दिनांक - 15.11.13 को रखें ।

श. प्र. 34/11/13

15.11.13- उग्रपक्ष- अनु० ।
पूना: दिनांक - 30.11.13 को रखें ।

श. प्र. उप. समाप्त

30.11.13 उग्रपक्ष- अनु० ।
पूना: दिनांक - 17.12.13 को रखें ।

श. प्र. 34/11/13

17.12.13 उग्रपक्ष- अनु० ।
पूना: दिनांक - 11.1.14 को रखें ।

श. प्र. 34/11/13

11.1.14 उग्रपक्ष - उग्रपक्ष वाद के प्रारंभ के दिधि से लगावा अनुपस्थित
चल रहे हैं। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने तथा वाद प्रारंभ
होने के पश्चात् उनके द्वारा निपक्षी को सूचना निर्गत करने हेतु
उपकरण भी परिवर्तन नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होगा है
कि वादी को वाद चलाने में कोई अतिक्रमण नहीं है। ऐसी
स्थिति में वाद को कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

श. प्र. 34/11/14
श. प्र. उप. समाप्त
रुद्र, 1/1/14